



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर-452001

क्रमांक/प्रशासन/शुल्क वापसी/2023/815

दिनांक 10 OCT 2023

अतिआवश्यक

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख,
समस्त अध्ययनशाला/संस्थान/तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विषय :- आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण शुल्क वापसी की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में।

सन्दर्भ :- उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र.787/53/आउशि/सम्बद्धता/23 दिनांक 22.09.2023.

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के संबंध में लेख्य है कि ऑन-लाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु दिनांक 10.03.2023 को जारी मार्गदर्शिका की कंडिका 9 में आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण शुल्क वापसी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

अतः संलग्न पत्र के अनुसार आवेदक प्रवेश निरस्त कर शुल्क वापस करने हेतु एम.पी.ऑनलाईन पर निर्धारित तिथि 16.10.2023 तक प्रवेश निरस्त कर शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक/प्रशासन/शुल्क वापसी/2023/815

प्रतिलिपि:-

1. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेंटर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

Acem

कुलसचिव

दिनांक 10 OCT 2023

[Signature]
उप कुलसचिव(प्रशासन)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

ई-मेल affil-he@mp.gov.in दूरभाष क्रमांक- 2554763

"website"

--: सूचना ::--

भोपाल, दिनांक- 22/09/2023.

क्रमांक- 787 /53/आउशि/सम्बद्धता/23 :: मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2023-2024 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) एवं बी.ए. बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड. तथा बी.एड.(अंशकालीन-तीन वर्षीय) में ऑन-लाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु दिनांक 10/03/2023 को जारी मार्गदर्शिका की कड़िका 9 में आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण, शुल्क वापसी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तदनुसार प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण की समाप्ति के 30 दिवस तक प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया संचालित रहेगी। निर्धारित अवधि के उपरांत प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के पाठ्यक्रमों की ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 15/09/2023 को सम्पन्न हो चुकी है। अतः ऐसे आवेदक जो अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहते हों, एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर दिनांक 16/10/2023 तक प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।

3. प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होकर ओ.टी.पी. आधारित है। पोर्टल पर बैंक संबंधी पूर्ण विवरण आवेदक द्वारा दर्ज किया जाए, जिससे कि संबंधित के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क की राशि अंतरित की जा सके।

निर्धारित तिथि 16/10/2023 के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर नियमानुसार शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी।

OR (प्रशा.)

~~circulate~~
circulate

Acw
25/5

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.



80
26/9/23
DH

